E- mail/ By Hand

845
19/02/25

# शहरी विकास निदेशालय

31 / 62 राजपुर रोड़, देहरादून – 248001
E-mail :- pmayurbanuk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2749541, फैक्स – 0135–2749542

संख्या4592/957 / पी0एम0ए0वाई0 एच0एफ0ए0 यू० 2.0 / 2024–25 दिनांक 15 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

नगर आयुक्त,
समस्त नगर निगम उत्तराखण्ड

अधिशासी अधिकारी
समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
उत्तराखण्ड

विषय – प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) 2.0 के अंतर्गत आवास माँग प्राप्त किये जाने के सम्बधं में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर 2024 में नई आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) 2.0 – प्रारम्भ कर दी गई है। योजनान्तर्गत पात्र आवास विहीन शहरी परिवारों को योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है। दिनांक 18.11.2024 को भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वय हेतु द्वितीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाल आयोजित की गई थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 की आवास माँग को पीएमएवाई–यू 2.0 के अंतर्गत गठित एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।

2– आवास माँग प्राप्त करने तथा माँग को पोर्टल पर दर्ज करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी आपेक्षित है–

1) पीएमएवाई–यू 2.0 की आवास माँग हेतु निकाय क्षेत्रांतर्गत व्याप प्रचार–प्रसार करेंगी।
2) स्थानीय स्तर पर प्रचार अभियान'–
 – हिन्दी / अंग्रेजी भाषा में में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाना।
 – बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करना।
3) कूडा गाडी / मुनादी के माध्यम से प्रचार प्रसार
 – वार्ड स्तर पर कूडा गाडी के माध्य से प्रचार प्रसार करना।
 – स्थानीय समुदायों और समाजिक संगठनों को योजना की जानकारी देना तथा पात्र परिवारों का एकीकृत वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना।
4) डिजिटल मीडिया / निकाय की वैवसाईट का उपयोग
 – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर) पर प्रचार सामग्री पोस्ट करना।
 – स्थानीय स्तर पर आर०डब्यू०ए० / व्हाट्सएप समूहों और SMS के माध्यम से योजना को प्रचार प्रसार।
5) स्थानीय ट्रांस्पोट के माध्यम से प्रचार प्रसार –
 – सिटी बस / टम्पो एसोसियेशन / लोकल टेक्सी–मेक्सी सर्विस / ओटोरिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार।
6) अखवार और पत्रिकाओं में पैम्फलेट
7) निकाय स्तर पर हेल्पलाइन और सूचना केंद्र स्थापित करना ताकि अगंतुको को आवासीय योजना की जानकारी प्रदान की जा सके, आवेदनकर्ता हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कैम्प लगाना।
8) स्वयं सहायता समूह / कुडा प्रबंधन में लगी स्थानीय संस्थानों में जागरूकता सेमिनार आयोजित करना।
9) घर–घर जाकर प्रचार प्रसार, स्थानीय स्वयंसेवकों / स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से घर–घर जाकर योजना की जानकारी देना।
10) आवेदन प्रक्रिया को समझाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निकाय निकटतम सी०एल०टी०सी० के माध्यम से आवेदन को एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते है, पोर्टल पर दर्ज करने हेतु लाभार्थी को निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी –

1. स्वयं का तथा परिवार के समस्त सदस्यों का आधार कार्ड
2. वर्तमान पते के प्रमाण के रुप में – राशन कार्ड, बिजली/पानी/फोन का बिल, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आवेदक का पता हो, मकान मालिक की किराया रसीद/स्थानीय पार्षद
3. आय प्रमाण पत्र – स्वघोषित प्रमाण पत्र (दिशानिर्देशों के दिये गये प्रारुप अनुसार)/आय प्रमाण पत्र (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी)/वेतन पर्ची (यदि नौकरी में हैं)/ आयकर रिटर्न (ITR) की प्रति यदि हो तो
4. आवेदनकर्ता का बैंक विवरण –बैंक पासबुक की पहली पृष्ठ की कॉपी/बैंक स्टेटमेंट
5. संपत्ति के दस्तावेज (यदि लागू हो – घटक के अनुसार) – भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/संपत्ति के लिए बिक्री पत्र (Sale Deed)/Gift Deed
6. अन्य आवश्यक दस्तावेज – जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. फोटोग्राफ – पासपोर्ट साइज फोटो (हाल की)

3– योजना का कार्यान्वयन 01.09.2024 से आगामी 5 वर्षों तक किया जाएगा ताकि आवास के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। वर्तमान में केंद्रीय सहायता रु० 2.25 लाख प्रति आवास की दर से तीन किस्तों में निर्गत की जायेगी, जिसमें राज्यांश सम्मलित करते हुए धनराशि निकाय को निर्गत की जायेगी।

4– अतः योजना का व्यापक प्रचार कराते हुए आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ करे तथा प्राप्त आवेदन को पोर्टल पर दर्ज करते हुए अभिलेखों को सत्यान करना व डी०पी०आर० तैयार करने की कार्यवाही प्रारम्भ करें। यदि निकाय द्वारा पूर्व में पी0एम0ए0वाई0 पोर्टल पर आवास माँग दर्ज की गई है और उसकी डी0पी0आर0 स्वीकृत नहीं है तो निकाय को समस्त आवेदन को पी0एम0ए0वाई0 2.0 पोर्टल पर पुनः दर्ज करना होगा।

5– भारत सरकार द्वारा राज्य का वित्तीय वर्ष 2024–25 का भौतिक लक्ष्य 6000 आवासों का निर्धारित किया गया है। अतः 31.12.2024 तक अधिक से अधिक अवेदन प्राप्त कर आवास माँग योजना के एकीकृत वेब पोर्टल https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PMAY_SURVEY/EligiblityCheck.aspx पर दर्ज करना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(डा० ललित नारायण मिश्रा)
अपर निदेशक

दिनांक तथा पत्रांक तदैव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी/प्रशासक उत्तराखण्ड।
4. समस्त सी0एल0टी0सी0, प्रधानमंत्री आवास योजना को इस निर्देश के साथ की अपनी आवंटित निकायों में माँग सर्वेक्षण के आधार पर पी0एम0ए0वाई0 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर दर्ज कराना सुचिचित करें।

(डा० ललित नारायण मिश्रा)
अपर निदेशक